विहार विधान-सभा वादवृत

(भाग—१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि १७ फरवरी, १९७५ ।

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : विहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत अनागत प्रश्नों के उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ३, ४ एवं ६ ... १—११

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : १४२, १४८, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४९—१५१, १६०, १९९, २०२ एवं २०४—२०७ । १२—३४

परिशिष्ट-१ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : ... ३५—३४४

दैनिक निबंध : ३४५-३४६

टिप्पणी : —जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित किया है उनके नाम के आगे (@) चिन्ह लगा दिया गया है ।

डकैती की जांच

१८२ । **श्री सूरजदेव सिंह**—क्या मंत्री गृह (आरक्षी) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिला में गया किउल लाईन में करजरा स्टेशन पर दिनांक २१-१२-७४ तथा २२-१२-७४ को एक ही ट्रेन को दोनों दिन लगातार डकैतों ने लूटा है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त डकैती में लाखों की लूट हुई और पचासो औरतों की अस्मत लूटी गयी लेकिन अबतक सही अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है ;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों को उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इस काण्ड की जांच सी० बी० आई० से कराना चाहती है, यदि हां, तो कब तक; और नहीं तो क्यों ?

श्री दारोगा प्रसाद राय—(१) यह बात सही है कि गया किउल लाईन में ३२२ डाउन गया-हाबड़ा पैसेन्जर ट्रेन में दो डकैती लगातार हुई। एक डकैती दिनांक १९/२०-१२-७४ को रात और दूसरी डकैती दिनांक २१/२२-१२-७४ की रात में हुई। दोनों केसों का घटना स्थल करजरा रेलवे स्टेशन के पास है। इसके सम्बन्ध में गया जी० आर० पी० एस० केस संख्या ८ (१२) ७४ धारा ३९५ भा० द० वि० तथा गया जी० आर० पी० एस० केस संख्या ११ (१२) ७४ धारा ३९५ भा० द० वि० दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।

(२) यह बात सही नहीं है डकैती में लाखों की लूट हुई। केस संख्या ८ (१२) ७४ में करीब ६ हजार एवं केस संख्या ११ (१२) ७४ में सब मिलाकर ४-५ हजार की संपति लूटी गयी। यह बात भी सही नहीं है कि औरतों की अस्मत लूटी गयी। दोनों डकैती एक ही गिरोह का किया हुआ मालूम होता है। तीन डकैत पकड़े भी गये हैं और एक के पास से एक घड़ी भी बरामद हुई है। बाकी डकैतों के पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

(३) चूंकि दोनों डकैती का पर्यवेक्षण रेल आरक्षी अधीक्षक, पटना कर चुके हैं और उन्हीं के देख रेख में अनुसंधान चल रह है। अतः सी० बी० आई० को अनुसंधान देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है।